

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) ~~कैम्प~~ हिण्डौन

:-आदेश:-

के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ~~रिपोर्ट~~ रिपोर्ट तथा तहसीलदार ~~हिण्डौन~~ / नायब तहसीलदार ~~हिण्डौन~~ की अनुशंसा
आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~हुजवाडा~~ हुजवाडा
तहसील ~~हिण्डौन~~ जिला करौली की जमाबंदी सम्वत् ~~2592~~ 2592 में खाता संख्या ~~2588, 2592, 2593~~
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व
बोर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	हुजवाडा	खाता सं- नया-39 पुराना-36 सं. सं. 2588, 2592, 2593	रूप सिद्ध पुत्र सुबला	रूप सिद्ध पुत्र सुकानाम नोट:- रूप सिद्ध पुत्र सुकानाम के स्थान पर रूप सिद्ध पुत्र सुकानाम दर्ज किया जाये।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

क/केम्प/2114-2116

दिनांक:- 14/5/2022

लिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. तहसीलदार ~~हिण्डौन~~ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री ~~रूप सिद्ध पुत्र सुकानाम~~ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)